भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1844
उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

वैश्विक बाजारों में एमएसएमई उत्पाद

1844. डॉ. अमरसिंह:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक बाजारों में भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उत्पादों की बाजार पहुंच, निर्यात तत्परता और ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान निर्यात संवर्धन या क्लस्टर विकास पहलों के अंतर्गत सहायता प्राप्त एमएसएमई की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई ब्रांडिंग रणनीति या कोई प्रमाणन विकसित किया है और यदि हां, तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(घ) निर्यात मूल्य और विदेशी बाजार में प्रवेश के संदर्भ में ऐसी पहलों के माध्यम से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई को दौरा/भागीदारी करने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सेमिनारों/कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम” का क्रियान्वयन करता है। इस स्कीम के तहत, प्रथम-बार के सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को निर्यात के संबंध में निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और टेस्टिंगएवं गुणवत्ता प्रमाणन के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी) के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह स्कीम एमएसएमई को प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, माँग में परिवर्तन, नए बाजारों के उद्भव आदि के चलते उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु स्वयं को निरंतर अद्यतित बनाए रखने के लिए अवसर भी प्रदान करती है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक, स्कीम से 1361 एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने समग्र निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को एक व्यापक फ्रेमवर्क के रूप में सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 12.11.2025 को “निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम)” को मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए, 25,060 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला, और डिजिटल डाटा पर आधारित फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ईपीएम के तहत, निर्यात प्रोत्साहनके माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी, जो एमएसएमई निर्यातकों के लिए व्यापार हेतु वित्त की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है और निर्यात दिशा,जो ऐसे गैर-वित्तीय समर्थकों को समर्थन प्रदान करती है,जो निर्यात-गुणवत्ता और इनके अनुपालन का समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए सहायता और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात वेयरहाउसिंग एवं लोजीस्टिक, भू-परिवहन प्रतिपूर्ति और व्यापार बुद्धिमत्ता और क्षमता निर्माण पहलों सहित बाजार हेतु तैयारी एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करते हैं।

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाते हुए एमएसई के समग्र विकास के लिए उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। सरकार मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफ़सी) की स्थापना और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/एस्टेटों/फ्लेटेड फैक्टरी परिसरों में नए/उन्नत केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक, क्लस्टर विकास पहलों के अधीन 82 सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफ़सी) और 108 अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाओं सहित 190 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

एमएसएमई से संबंधित उत्पादों के निर्यात में वर्तमान रुख से यह पता चलता है कि समग्र व्यापारिक निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान में अमेरिकी डॉलर मूल्य में वर्ष 2023-24 में 45.74% की तुलना में वर्ष 2024-25 में 48.55% की वृद्धि हुई है।

*****